LOK SABHA

Friday, December 2, 1977/Agrahayana 11, 1899 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR SPEAKER *in the Chair*]

WELCOME TO IRANIAN PARLIAMENTARY DELEGATION

MR. SPEAKER: Hon. Members, at the outset, I have to make an announcement.

On my own behalf and, on behalf of Hon'ble Members of the House, I have great pleasure in welcoming His Excellency Mr. Jafar Sharif Emami, President of the Iranian Senate, Madam Sharif Emami and the Hon'ble Members of the Iranian Parliamentary Delegation who are on a visit to India as our honoured guests. The other Hon'ble Members of the delegation are:—

(1) Mr. Mohammad Reza Jalili Naini

(2) Dr. Nasrollah Mozhdehi

(3) Mr. Eissa Tadayon

(4) Mr. Nour Ali Sahabi

(5) Madam Motalieh Naini Taba

(6) Mr. Mustafa Jaferi

(7) Mr. Ali Reza Shafaie

(8) Mr. Nasser Khodabandeh.

The delegation arrived here early this morning and will be in India till the 9th December. They are now seated in the Special Box. We wish them a happy and fruitful stay in our country. Through them we convey our greetings and best wishes to His Imperial Majesty the Shahanshah Aryamehr, Esteemed Parliament, Government and the people of Iran.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

MR. SPEAKER: Question No. 244. Shri Md. Hayat Ali is not here. Next question.

SHRI O. V. ALAGESAN: Sir, it is a very important question.

MR. SPEAKER: What can I do? I cannot put the question. It is not permitted under the rules.

SHRI K. LAKKAPPA: Sir, there is a convention that the Speaker can put the question.

MR. SPEAKER: I cannot put the question. Q. No. 245.

कृषि उपकरणों, उर्वरकों और कीटनाशक औषधियों पर उत्पादन शुल्क

*245. श्री लक्ष्मी नारायण नायक : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादन शुल्क में वृद्धि होने से कृषि उपकरण, उर्वरक और कीटनाशक औषधिया महंगी हो गई हैं जिसके कारण किसानों को नवीनतम कृषि उपकरण और खाद, बीज आदि खरीदने में कठिनाई होती है तथा इससे उत्पादन प्रभावित होता है और यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन मदों पर से उत्पादन शुल्क हटा लेने का है ताकि कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सके, और

(ख) यदि हां तो क्या इस आशय की घोषणा दिसम्बर, 1977 के अन्त तक कर दी जायगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख). उर्वरकों पर उत्पादन-शुल्क से 17 मार्च 1972 से लगा कर अभी तक कोई वृद्धि नहीं की गयी है । खेतों में जो औजार-उपकरण बिजली से नहीं चलाये जाते हैं अथवा जिनका प्रयोग ट्रैक्टरों के साथ अथवा बिजली से खुदाई करने वाले यन्त्रों के साथ नहीं किया जाता है, उन पर कोई उत्पादन-शुल्क नहीं लगता ।

कृषि के शुल्क लगने योग्य औजार-उपकरणों तथा कीटनाशक पदार्थों पर शुल्क की दर में केवल एक प्रतिशत मात्र की मामूली सी वृद्धि 18 जून, 1977 से की गयी है । इसलिए यह धारणा सही नहीं है कि उत्पादन-शुल्क में इस साधारण सी वृद्धि से ये वस्तुएं महंगी हो गयी हैं । इन वस्तुओं पर लगने वाले उत्पादन-शुल्क को हटा लेने का कोई प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

कृषि क्षेत्र की आवश्यकताओं और समस्याओं का पूरा-पूरा खयाल रखने के बारे में सरकार पूरी तरह जागरूक है । और इसी कारण जिन-जिन मामलों में शुल्क से छूट देना आवश्यक समझा गया वहां छूटें दी गयी हैं । जैसे अभी हाल ही में सरकार ने 3 सितम्बर, 1977 को कुट्टी काटने की मशीन के फलों पर जो 10 प्रतिशत शुल्क लगता था, उसे हटा लिया है । इसके अलावा तिहरे सुपर फास्फेट उर्वरक पर देय शुल्क की दर को 15 प्रतिशत से घटा कर 1 दिसम्बर, 1977 से 7½ प्रतिशत कर दिया है । साथ ही 12 हार्सपावर तक के छोटे ट्रैक्टरों पर 15 प्रतिशत की दर से लगने वाले शुल्क को भी पूरी तरह से हटा लेने का फैसला किया है ।

श्री राम्मी नारायण नायक : माननीय अध्यक्ष महोदय जनता पार्टी ने घोषणा की है कि हम ग्रामों का ज्यादा उत्थान करेंगे । गावों में ज्यादातर कृषक ही रहते हैं, तो फिर क्या कारण है कि 18 जून, 1977 को कृषि औजार-उपकरण और कीट-नाशक दवाइयों पर एक प्रतिशत की वृद्धि शुल्क में की गई । मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या अपनी घोषणा के अनुसार, शासन ने जो शुल्क बढ़ा दिया है, उसे वे हटा देंगे ? साथ ही मैं यह कहूंगा कि बिजली के पम्पों से गावों में कुओं और नालों में जो सिंचाई होती है, उस पर जो शुल्क लगता है उसको भी क्या वे हटा देंगे ।

श्री सतीश अग्रवाल : यह जो शुल्क जून, 1977 में लगाया गया था, इस सम्बन्ध में जो भी तथ्य थे, मन्त्री महोदय ने उनका संक्षिप्त उत्तर उस समय दे दिया था लेकिन उसके पश्चात ट्रिपिल सुपर फास्फेट पर हमने जो छूट दी, उसकी वजह से 1 करोड़ 30 लाख रुपये का रेवेन्यू लास होने जा रहा है । इस सम्बन्ध में जो भी माननीय सदस्य ने कहा है, मैं समझता हूं कि जो भी स्पष्टीकरण दिये गये हैं वे काफी पर्याप्त हैं । यूरिया फर्टिलाइजर की जो एक्स-फैक्टरी प्राइस थी, उसको केमिकल्स मिनिस्ट्री ने 1245 रुपये से घटा कर 1158 कर दिया है । बजट में पावर-ट्रिलर पम्प पर 10 परसेन्ट से 5 परसेन्ट कर चुके हैं । स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स, जो छोटे छोटे लोग हैं जिनकी 30 लाख रुपये से नीचे की मैनुफैक्चर है, उनको भी छूट दी गई है । जो बिना बिजली के गावों में औजार बनाते हैं उनको बिल्कुल छूट दी गई है । तो मैं समझता हूं कि जब बिजली का उपयोग नहीं होता, वहां बिल्कुल छूट है, 30 लाख से कम मैन्युफैक्चर वालों को बिल्कुल छूट है और उसके ऊपर अगर एक परसेन्ट से दो परसेन्ट कर दिया यानी अगर 100 रुपये की चीज है तो 101 रुपए की बजाए 102 रुपये की होगी, इसको कम करने के बारे में अभी हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री लक्ष्मी नारायण नायक : अब ज्यादा से ज्यादा उपयोग बिजली का किसान कर रहे हैं । कुओं पर भी बिजली पम्प लगते हैं और नालों पर भी लगते हैं । आपने जो बिजली पर पम्प चलते हैं उन पर से नहीं हटाया । हम चाहते हैं कि बिजली से जो उपकरण चलते हैं, उन पर भी आप शुल्क को हटाने की कृपा करें ।

श्री सतीश अग्रवाल : पावर ड्रिवन पम्पस पर 10 परसेंट से 5 परसेन्ट कर दिया है ।

श्री अनन्त दवे : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि बैकवर्ड एरियाज, हिली एरियाज और बोर्डर पर स्थित जो जिले हैं, वहां के किसानों से फर्टिलाइजर्स को जो कीमतें ली जाती है, उस पर कुछ स्पेशल सब्सीडी देने की बात सरकार सोच रही है ? इसकी कोई योजना है ।

श्री सतीश अग्रवाल : फर्टिलाइजर्स पर सब्सीडी देने का प्रश्न हम से सम्बन्धित नहीं है ।

SHRI K. LAKKAPPA: Mr. Speaker, Sir, the hon'ble Minister while replying could not explain the question that has been put, namely, to slash down the excise duty on all important inputs of agricultural production. Sir, in Southern States the Central Excise levy is so high that farmers cannot do modernization in agriculture. As a result thereof there is a vast exodus of people from agriculture to other professions.

They are all dealing in clothes or other things; they are trading in them. It is very important that even a small cultivator should go into modern agriculture. During the last ten months, remunerative prices have not been given to the farmers. They are not removing the excise duty and other taxes. How can they invest in inputs for increased production. During the last ten months production in agriculture has gone down to a considerable extent.

MR. SPEAKER: What is the question?

SHRI K. LAKKAPPA: Would the Ministry consider complete abolition of excise duty on agricultural inputs, pesticides, fertilisers? Will they evolve a new policy because large sections of people are engaged in agriculture?

MR. SPEAKER: You cannot convert the question into a debating hour.

SHRI K. LAKKAPPA: Large sections of the people will be ruined if there is duty like this. Therefore I am asking for complete abolition of excise duties.

MR. SPEAKER: The longer the question, the shorter can be the answer.

SHRI SATISH AGRAWAL: The duty on fertilizers has not been imposed by this government; it was imposed by the Congress Government in 1969-70.

SHRI K. LAKKAPPA: I am asking the present government. What is it doing?

SHRI SATISH AGRAWAL: For my hon. friend's information. I may say that the duty was increased from ten per cent to 15 per cent in 1972-73; it is not this government which increased it..... (*Interruptions*). Whatever facts and figures have been given, they were with us. Whatever the government will deem proper in the interest of the farmers, that will be considered at the appropriate time. On this question nothing else is to be added to my answer.

डा० बापू कालदाते : जनता पार्टी का आर्थिक नीति स्टेटमेंट अभी तय हुआ है । इस में हमने कहा है कि तीन सालों में हम एक्साइज ड्यूटी को खत्म करेंगे । मैं पूछना चाहता हूं

कि इस दृष्टि से सरकार ने कौन से कदम उठाने की बात तय की है ?

श्री सतीश अग्रवाल : जनता पार्टी ने जो इस सम्बन्ध में निर्णय लिया है उस पर सरकार को निर्णय लेना है और जब सरकार का निर्णय हो जाएगा उसके बाद उसकी घोषणा सदन में मैं कर दूंगा ।

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL): The hon. Member wants to know what steps are being taken in regard to various proposals made in the Janata party economic policy statement. Naturally that statement will be given full consideration by the government, including this particular point about what reduction shall be made in fertilizer. I think that in the statement it is stated that even if it is to be abolished it is progressively over a period of time. These matters will be given full consideration and in due course we shall inform the House of what we have decided.

SHRI V. ARUNACHALAM: The Tamilnadu Government has granted some concession in the price of fertilisers and pesticides to the farmers of cyclone hit areas. In addition to that, as a gesture on the part of this Government, will this government come forward to reduce the price of fertilisers and pesticides by about 25 per cent to the farmers of cyclone hit areas for this year at least?

SHRI SATISH AGRAWAL: The fixation of prices is not being done by the Finance Ministry.

MR. SPEAKER: His question is, are you going to give any concession to Tamil Nadu and Andhra?

SHRI H. M. PATEL: I have already said that these things are going to be considered as to what assistance is needed to those who are affected in any serious way by any calamity. These points will also be given fullest consideration and whatever concessions are necessary, they will be given.

डा० रामजी सिंह : अभी वित्त मन्त्री ने जो कहा है कि जनता पार्टी ने जो इस सम्बन्ध में नीति बनाई है,उस पर विधिवत् विचार करेंगे, "इन डयू कोर्स" जो आपने कहा है, तो कार्यक्रम में क्या आप कह सकते हैं कि कब तक इस पर निर्णय ले सकेंगे ?

SHRI H. M. PATEL: I regret I cannot give the exact date, etc. now. But I can assure him that we are trying to take decision as quickly as possible.

Loss suffered by S.T.C. due to non-supply of salt to Bangladesh

*246. SHRI M. A. HANNAN AL-HAJ: Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION be pleased to state:

(a) whether S.T.C. entered into an agreement with Bangladesh for supply of salt to Bangladesh;

(b) if so, whether S.T.C. did not supply the salt and asked the private parties to supply the same;

(c) if so, the reasons therefor and losses S.T.C. has to suffer for non-supply of the salt by itself; and

(d) what was the exact quantity to be supplied and what quantity has since been supplied and the reason for not supplying the balance?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI ARIF BAIG) (a) Yes, Sir.

(b) to (d). S. T. C. had entered into a contract on 25-7-1977 with the Government of Bangladesh for supply of 50,000 tonnes of salt to that country during 1977-78. On account of non-